आकार पत्र ख0पु0–1

कार्यालय जिलाधिकारी (भूलेख अनुभाग) जौनपुर।

पत्रांकः 452 /सात–भूलेख दिनांकः 12 जुलाई, 2018

फसली वर्ष हेतु – 1426फसली

आदेश

उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 31 की उपधारा 2 एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली के नियम 28 के उपनियम 1 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं अरविन्द मलप्पा बंगारी, जिलाधिकारी जौनपुर संलग्न सूची में उल्लिखित राजस्व ग्रामों के समस्त तहसील की खतौनी के पुनरीक्षण व खतौनी में अंकित प्रत्येक खातेदार/सहखातेदार के गाटों के अंश का निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित समय सारिणी के अनुसार खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम का संचालन प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

जिलाधिकारी
जौनपुर।

क्र0 सं0	गतिविधि	समयसीमा
1	जिलाधिकारी द्वारा जनपद के राजस्व ग्रामों की खतौनी के पुनरीक्षण एवं उसमें दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के अंश निर्धारण हेतु सूचना का प्रकाशन किया जाना	05–07–2018 से 15–07–2018 तक
2	खतौनी में दर्ज खातेदार/सहखातेदारों के खातावार एवं गाटा नम्बरवार अंश को प्रारम्भिक रूप से खातेदारों/सहखातेदारों एवं ग्राम राजस्व समिति के परामर्श से लेखपाल द्वारा आकार पत्र–ख0पु0–2 में तैयार किया जाना	16–07–2018 से 31–08–2018 तक
3	लेखपालों द्वारा खतौनी में खातेदारों/सहखातेदारों के गाटा नम्बरवार प्रस्तावित अंश के उद्धरण को आकार पत्र ख0पु0–3 में तैयार किया जाना व राजस्व निरीक्षक द्वारा समस्त खातेदारों/सहखातेदारों को आर0सी0 प्रपत्र–8 में नोटिस जारी कर लेखपाल के माध्यम से तामील कराया जाना	01–09–2018 से 30–09–2018 तक
4	खातेदार/सहखातेदार द्वारा प्रारम्भिक रूप से किये गये अंश के निर्धारण के विरूद्ध आपत्ति/शुद्धिकरण हेतु आकार पत्र ख0पु0–3 में विवरण अंकित करते हुए, यथावश्यक अभिलेखों/प्रमाणों सहित, सम्बन्धित लेखपाल अथवा राजस्व निरीक्षक अथवा रजिस्ट्रार कानूनगो को प्राप्त कराया जाना	01–10–2018 से 31–10–2018 तक
5	राजस्व निरीक्षक द्वारा ग्राम राजस्व समिति से परामर्श, स्थानीय जॉच–पड़ताल एवं पक्षों के मध्य सुलह समझौते के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण कर अंश निर्धारण आदेश पारित करना	01–11–2018 से 30–11–2018 तक
6	खातेदार/सहखातेदार की अनिस्तारित आपत्तियों को राजस्व संहिता की धारा–116 के अन्तर्गत उप जिलाधिकारी को निर्णय हेतु अग्रसारित करना।	01–12–2018 से 15–12–2018 तक

संलग्नक–ग्रामों की सूची।

जिलाधिकारी
जौनपुर।

पृ0सं0ः 452 /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को संलग्न ग्रामों की सूची सहित सूचनार्थ एवं अपने कार्यालय/सूचना पट्ट पर चस्पा कराकर व्यापक प्रचार–प्रसार कराये जाने एवं मा0 परिषद के निर्देशानुसार नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

1– अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) जौनपुर।
2– अपर जिलाधिकारी (भू–राजस्व) जौनपुर।
3– प्रभारी अधिकारी नजारत/नाजिर सदर कलेक्ट्रेट जौनपुर।
4– समस्त उप जिलाधिकारी जनपद जौनपुर।
5– समस्त तहसीलदार जनपद जौनपुर।
6– समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद जौनपुर को सम्बन्धित तहसीलदार के माध्यम से अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत पर चस्पा कराकर व्यापक प्रचार प्रसार कराने हेतु प्रेषित।
7– जिला सूचना अधिकारी जौनपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश का प्रकाशन स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में कराया जाना सुनिश्चित करें।
8– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जौनपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश एवं संलग्न ग्रामों की सूची जनपद की वेवसाईड पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– ग्रामों की सूची।

जिलाधिकारी
जौनपुर।